न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

जी.सी.एम.नम्बर 2024/97

1. लाला पुत्र भूरा,
2. गोपाली देवी पत्नी सीताराम
3. फूली देवी पत्नी लाला
4. रामेश्वर पुत्र कानाराम
5. नारायण पुत्र कानाराम
6. प्रहलाद पुत्र कानाराम
7. सोनी देवी पत्नी भगवान सहाय
8. हंसा देवी पत्नी मालूराम

समस्त जातियान् यादव, निवासीगण ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
2. बाबूलाल पुत्र बिरदूराम जाति अहीर निवासी ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022 उनवान लाला व अन्य बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित—

1. श्री कुलदीप शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक—24.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुरके आदेश दिनांक 14.02.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालयउपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्षप्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 पेश कर ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुरमें स्थितभूमि खसरा नंबर 234 रकबा 1.61 है0 के राजस्व नक्शे में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार ही नक्शे को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के गुणावगुणों के आधार पर पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के आदेश दिनांक 14.02.2024को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 14.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट लाला पुत्र भूरा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढके निर्णय दिनांक 14.02.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किवाके ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि का तरमीम की कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नंबर 234 रकबा 1.61 है0 को खसरा नं. 231 रकबा 0.80 है0 में दर्शा दिया तथा खसरा नं. 231रकबा 0.80 है0 की जगह खसरा नं. 234 रकबा 1.61 है0 को दर्शित कर दिया। परन्तु प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 234 के नक्शे में खसरे का रकबा परिवर्तित नहीं किया। आज भी पूर्व की भॉति खसरा नं. 234 का रकबा 0.60 है0 ही अंकित है। जबकि रकबा 0.60 है0 के स्थान पर 1.61 है0 परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी उठानी पड रही है। नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि 1.61 है0 की जगह 0.80 है0 ही रह जाती है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दोराने सेटलमेण्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे मे रकबा कम दर्शाते हुये नक्शा कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया तथा केवल मात्र प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने का आधार मानकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 14.02.2024 निरस्त किया किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 234 रकबा 1.61 है0 भूमि के नक्शे का रकबा दुरूस्त किये जाने को लेकर है। जिसे दुरूस्त करने के संबंध में अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 131, 136 प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राज0 भू राजस्व अधिनियम के गुणावगुणों के आधार पर पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् राजस्व रिकॉर्ड की लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अगर किसी पक्षकार का रकबा कम या ज्यादा हो रहा है तो वह सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत् चाराजोही कर सकते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है इसमे किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं। ऐसी दशा में अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

<u>अतः आदेश है कि:</u> अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

(डॉ. [illegible])
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त,
जयपुर
जयपुर